

आदेश

मंत्रिमण्डल सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.2020 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं:-

(i) उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-5 को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“5. शहरी क्षेत्र में लोक महत्व एवं ढांचागत विकास (Infrastructural Development) के लिए महत्वपूर्ण किसी भी विषय जो दो या अधिक विभागों के मध्य विवादग्रस्त है, का निस्तारण।”

(ii) उक्त आदेश के अन्तिम पैरा को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-
“इसके सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग होंगे।”

राज्यपाल की आज्ञा से,




(गायत्री राठौड़)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव